संख्या:31/2020/743 ई-2/तेरह-2020-56/2103

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।

2.समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।

3.पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर/लखनऊ।

4.समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ.प्र.।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2020

विषय: मदिरा/बीयर के फुटकर अनुज्ञापनों का संचालन सुचारु रूप से प्रारम्भ किये जाने के पूर्व आसवनियों/यवासवनियों में उत्पादन प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-271/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 15.04.2020 एवं पत्र संख्या-जी-273/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 15.04.2020 के क्रम में यह अवगत कराना है कि प्रदेश में मदिरा/बीयर के फुटकर अनुज्ञापनों का संचालन सुचारु रूप से प्रारम्भ किये जाने के पूर्व आसवनियों/यवासवनियों में उत्पादन प्रारम्भ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी आयुक्त के उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में प्रदेश की आसवनियों/ यवासवनियों को संचालित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.04.2020 को निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के प्रस्तर-2(i), 2(iii) एवं प्रस्तर-15(i), 15(ii) एवं 15(v) में वर्णित् व्यवस्था तथा उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुलग्नक-1 के बिन्दु संख्या-6 में उल्लिखित सोशल डिस्टैंसिंग/संगत प्राविधानों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

3. यह शासनादेश गृह विभाग, उ.प्र. शासन की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)

प्रमुख सचिव

संख्या:31/2020/743 ई-2/तेरह-2020तद्दिनांक।

आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को उनके उपरोक्त दिनांकित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(संजय आर. भूसरेड्डी)

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in